न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी—डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 13/2023 तारीख रजू 12.04.2023

रामेश्वर पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासी खिरनी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर
——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, मलारना डूंगर ———— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित — श्री रघुनन्दन सिंह राजावत एड0 — अपीलार्थी
पेरोकार राजस्व — रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 24/7/23

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, मलारना डूंगर द्वारा मुकदमा नं0 778/23 मे पारित आदेश दिनांक 24.03.2023 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा संवत 2079 में रबी की फसल में अपीलार्थी को ग्राम खिरनी के आराजी खसरा नम्बर 6003, रकबा 0.08 है0 किस्म बंजड़ पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी अंकन नहीं किया है कि अपीलार्थी का ख0नं0 6003 रकबा 0.08 है0 में किस प्रकार से अवैधानिक कब्जा है यानि अतिक्रमण कर रखा है ऐसा कोई तथ्य जैर अपीलाधीन निर्णय में नहीं है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एपीरियेन्टली गलत होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना किसी आधार के बार—बार अतिक्रमण करने का आदि बताया है लेकिन किस तरह अतिक्रमण कर रखा है यह तथ्य जैर निर्णय में अंकित नहीं होने से जैर निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य है। अदालत मातेहत ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का मौका दिये हुए एवं बिना अपीलान्ट का जवाब एवं दस्तावेजी सबूत लिये हुए निर्णय पारित कर दिया है जो निरस्त होने योग्य है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2023 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:50 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलाण्ट को तामील नहीं होने पर पुनः नोटिस जारी किया गया तथा अपीलाण्ट के खुले मकान पर चस्पा करने के बावजूद भी अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 24.03.2023 को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया किन्तु अपीलार्थी नियत दिनांक को अदालत मातहत में जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुआ है इस प्रकार वकील अपीलार्थी का यह कथन कि उसे बिना नोटिस दिये एवं बिना अपीलान्ट का जवाब एवं दस्तावेजी सबूत लिये हुए विवादित निर्णय पारित कर दिया, मान्य नहीं है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 24.03.2023 में अपीलन्ट के ख0नं0 6003 रकबा 0.08 है0 में अतिक्रमण करना बताया है किन्तु पत्रावली में बयान पटवारी में मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण करना बताया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में किसी भी प्रकार के दस्तावेजात, पारित निर्णय, बेदखली रिपोर्ट आदि संलग्न नहीं है और ना ही दिनांक 24.03.2023 को पारित निर्णय में भी अतिक्रमी द्वारा मकान बाडे बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है, का अंकन किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि मकान बाडे हाल ही में बने हुए है अथवा काफी समय पूर्व के बने हुए है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती होने के पुख्ता/पर्याप्त सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मै सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली मकान की हद को छोडकर, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास की सजा निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, म॰ डूंगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण का पुनः परीक्षण करें तथा नियमानुसार धारा 91 की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 24/7/23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:43:50 IST
Reason: SelfAttested